पत्रांक–03/HFA-06-09/2024 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास (शहरी)–2.0 योजना के अधीन राज्य में A&OE एवं IEC पर व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश राशि रू0 134.71000 (A&OE- 48.57000+ IEC-86.14000) लाख एवं राज्यांश की राशि रू0 89.80667 लाख अर्थात कुल रू0 224.51667 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ रू0 मात्र) की राशि की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''प्रधानमंत्री आवास (शहरी)–2.0'' योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक– N-11015/03/2025-HFA-V-MoHUA/FTS-9196017 दिनांक–17.04.2026 द्वारा राज्य में A&OE एवं IEC पर व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश राशि रू0 134.71000 (48.57000+86.14000) लाख एवं राज्यांश की राशि रू0 89.80667 लाख अर्थात कुल रू0 224.51667 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ रू0 मात्र) की राशि की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निकासी की जानी है।

तदनुसार योजनान्तर्गत A&OE एवं IEC पर व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश राशि रू0 134.71000 (48.57000+86.14000) लाख एवं राज्यांश की राशि रू0 89.80667 लाख अर्थात कुल रू0 224.51667 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ रू0 मात्र) की राशि की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 224.51667 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ रू0 मात्र) की योजनान्तर्गत A&OE एवं IEC पर व्यय पर SNA SPARSH के माध्यम् से राशि व्यय किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– N-11015/03/2025-HFA-V-MoHUA/FTS-9196017 दिनांक–17.04.2026 के आलोक में की जाएगी।

3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक– 08.07.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। वित्त विभाग, बिहार के पत्र सं0–e.gov/PFMS-05/2023-398 दिनांक–13.01.2025 के द्वारा RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS) के तहत Drawing Account खोले जाने की सूचना दी गयी है।

प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा बुडा, पटना के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	Account Number	Name of Account	Short Name of Account
1	015855011200	BR323-House For All (Urban) (1989)	HFA Project

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि 224.51667 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यावन हजार छह सौ सड़सठ रू0 मात्र) माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0220–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन–2.0 (आई0ई0सी, ए एण्ड ओइ, एस0एल0टी0सी), विपत्र कोड–48-2217030510220, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0220.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

6. केन्द्रांश/राज्यांश की राशि के व्यय के लिए भारत सरकार तथा वित्त विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित अद्यतन दिशा–निदेशों/प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 469 दिनांक– 14.01.2026 के आलोक में Just-in-Time पर आधारित SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि की निकासी के मामले में डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगित प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–51/टि0 पर दिनांक–04.05.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0–54/टि0 पर दिनांक–11.05.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/HFA-06-09/2024 29 दिनांक– 12/05/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2(बजट) , नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, MoHUA, GoI, HFA Division/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/5/26

सरकार के संयुक्त सचिव।